प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 02/2024 आर.टी.आई. (GCMS/2024/33)
दायर दिनांक - 18.07.2024
निर्णय दिनांक - 06.08.2024

श्री हीरालाल पिता लूणाराम शर्मा, निवासी गांव लाछूडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा (राज.)	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री हीरालाल पिता लूणाराम शर्मा, निवासी गांव लाछूडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा (राज.) ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 15.07.2024 को कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं नियत कानूनी अवधि में उपलब्ध नही कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 02 दिनांक 18.07.2024 से श्री हीरालाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 24.07.2024 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन में वांछित सूचना न्याय एवं संपर्क पोर्टल प्रभारी से संबंधित होने से अनुभाग को यू. ओ. नोट क्रमांक 2105 दिनांक 19.06.2024 जारी किया गया। प्रभारी न्याय अनुभाग द्वारा 1 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत प्रार्थी को प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु पत्रांक 2265 दिनांक 07.07.2024 द्वारा लिखा गया। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने उपरांत सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। प्रार्थी द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद पुलिस विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। साथ ही अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 02 दिनांक 24.07.2024 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन में वांछित सूचना न्याय एवं संपर्क पोर्टल प्रभारी से संबंधित होने से अनुभाग को यू. ओ. नोट क्रमांक 2105 दिनांक 19.06.2024 जारी किया गया। प्रभारी न्याय अनुभाग द्वारा 1 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत प्रार्थी को प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु पत्रांक 2265 दिनांक 07.07.2024 द्वारा लिखा गया। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने उपरांत सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। प्रार्थी द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद पुलिस विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2024 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात अपीलार्थी को शुल्क जमा कराने बाबत लिखा गया था, परंतु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक कोई शुल्क नहीं जमा कराया गया था। लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
2. श्री हीरालाल पिता लूणाराम शर्मा, निवासी गांव लाछूडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा (राज.)

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर